

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प.1निचिस्वा/विधि/सामान्य/2025/19

दिनांक : 13/01/2025

1. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एफडब्ल्यू, राजस्थान।
5. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
8. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।

विषय:-विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15 जनवरी, 2025 निदेशालय में आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर व सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर में जवाब से लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाने हैं, उक्त क्रम में लेख है कि माननीय न्यायालय में जवाब से लम्बित प्रकरणों में समस्त केस प्रभारी अधिकारी उक्त बैठक में उपलब्ध कराये गये लिंक (जिसकी सूचना पृथक से उपलब्ध करा दी जायेगी) के माध्यम से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 13/01/2025

क्रमांक : प.1निचिस्वा/विधि/सामान्य/2025/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय।
4. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ई-मेल कर विभागीय साईट पर अपलोड करें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।